उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-25/2026/200/तीस-3-2026 (1790876)

लखनऊः दिनांकः 30 जनवरी, 2026

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापन विषयक अधिसूचना संख्या 25/2026/200/तीस-3-2026, दिनांक 30 जनवरी, 2026 संबंधी अधिसूचना (अंग्रेजी रुपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।

2- सचिव, उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

3- कार्मिक अनुभाग-**1/2**, उ०प्र० शासन ।

4- कार्मिक नियमावली सेल, उ०प्र० शासन।

5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-**2**, उ०प्र० शासन।

6-संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय. ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को दिनांक **30** जनवरी, **2026** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-**4** खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की **100** प्रतियां परिवहन अनुभाग-**3**, कक्ष, तृतीय तल, संख्या-**323**, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. गार्ड फाइल।

नितिन कुमार गुप्त

उप सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-25/2026/200/तीस-3-2026 (1790876)

लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-**309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, **1990** को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, **2026**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	**(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, **2026** कही जायेगी। ; **(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिशिष्ट का प्रतिस्थापन	2	उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, **1990**, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-**02** में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान परिशिष्ट					स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट (नियम **4(2)** देखें)				
क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या			क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग			स्थायी	अस्थायी	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	समूह-'क'					समूह-'क'			
1	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, परिवहन विभाग	-	**01**	**01**	**1**	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, परिवहन विभाग	-	**01**	**01**
2	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी	-	**01**	**01**	**2**	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी	-	**01**	**01**
3	अपर परिवहन आयुक्त	**02**	**02**	**04**	**3**	अपर परिवहन आयुक्त	**02**	**02**	**04**
4	उप परिवहन आयुक्त	**11**	**01**	**12**	**4**	उप परिवहन आयुक्त	**11**	**04**	**15**
5	उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक)	**01**	-	**01**	**5**	उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक)	**01**	-	**01**

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	**21**	**13**	**34**	**6**	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	**21**	**23**	**44**
7	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	**63**	**-**	**63**	**7**	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	**63**	**-**	**63**
	समूह-'ख'					समूह-'ख'			
8	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	**78**	**58**	**136**	**8**	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	**78**	**94**	**172**

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 25/2026/200/XXX-3-2026, Dated 30 January, 2026

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TRANSPORT SECTION-3
NOTIFICATION

MISCELLANEOUS
No. 25/2026/200/XXX-3-2026
Lucknow: Date 30 January, 2026

In excercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990 :

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT SERVICE (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commence-ment	1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Transport Service (Seventh Amendment), Rules, 2026. (2) They shall come into force at once.
Subtitution of Appendix	2. In the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990, for the existing appendix set out in column 1 below, the appendix as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1
Existing Appendix

S. No.	Name of Post	Number of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5
	Group 'A'			
1	Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Transport Department	-	01	01

COLUMN 2
Appendix as hereby substituted
[See rule 4(2)]

S. No	Name of Post	Number of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5
	Group 'A'			
1	Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Transport Department	-	01	01

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	Uttar Pradesh State Transport Appellate Authority	-	01	01	2	Uttar Pradesh State Transport Appellate Authority	-	01	01
3	Additional Transport Commissioner	02	02	04	3	Additional Transport Commissioner	02	02	04
4	Deputy Transport Commissioner	11	01	12	4	Deputy Transport Commissioner	11	04	15
5	Deputy Transport Commissioner (Technical)	01	-	01	5	Deputy Transport Commissioner (Technical)	01	-	01
6	Regional Transport Officer	21	13	34	6	Regional Transport Officer	21	23	44
7	Assistant Regional Transport Officer (Senior Scale)	63	-	63	7	Assistant Regional Transport Officer (Senior Scale)	63	-	63
	Group 'B'					Group 'B'			
8	Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)	78	58	136	8	Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)	78	94	172

By Order,

Archana Agarwal
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।